प्रकरण क्रं. **1087-2022**
शासन वि. लवकुश सारिवान वगैरह

13.08.2026

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

अभियुक्तगण अनुपस्थित ।

प्रकरण अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण में अभियुक्त गोपाल पेन्द्रों को जारी गिरफ्तारी वारंट "इंदौर कमाने खाने जाना" की टीप सहित अदम तामिल वापस प्राप्त एवं अभियुक्त लवकुश के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट तामील/अदम तामील वापस अप्राप्त।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित होता है कि **अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना गौरेला के अपराध क्रं. 257/2022 अंतर्गत धारा 279 भादवि एवं एम.व्ही. एक्ट की धारा 3/181, 5/180 के तहत दिनांक 26.09.2022 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है** एवं प्रकरण आरोप पूर्व तर्क के स्तर पर है । प्रकरण में अभियुक्तगण विगत कई पेशियों से अनुपस्थित है। प्रकरण में अभियुक्तगण के अनुपस्थिति के कारण उसके विरूद्ध कई बार गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये किन्तु उक्त अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकी है। प्रकरण में अभियुक्तगण के उपस्थिति बाबत् निरंतर दिनाँक 04.03.2024, 04.05.2024, 19.07.2024, 04.10.2024, 26.11.2024, 27.03.2025, 13.05.2025, 11.07.2025, 10.09.2025, 12.11.2025, 06.01.2026, 16.03.2026, 07.05.2026, 06.07.2026 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है किन्तु आज दिनांक तक अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इस न्यायालय के द्वारा लगातार उपरोक्त तिथियों पर अभियुक्तगण के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा रहा है, जिसे पुलिस के द्वारा तामिल नहीं किया गया है, जिससे उक्त वारंट की तामिली में पुलिस की रूचि दर्शित नहीं हो रही है। उक्त वारंट की तामिली सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। अभियुक्तगण की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण अनावश्यक लंबित है तथा अभियुक्त के निकट भविष्य में मिलने की संभावन

ku. Seema jagdalla
Digitally signed by ku. Seema jagdalla
Date: 2026.08.13 17:23:10 +0530

दर्शित नहीं हो रही है, बार–बार गिरफ्तारी वारंट जारी किये जाने से शासन का अमूल्य समय एवं धन की हानि होगी।

अतः उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के संबंध में प्रकरण में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की **धारा–299** के तहत कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अभियुक्तगण– 1. लवकुश सारीवाल पिता महेश सारीवाल, उम्र–24 वर्ष, साकिन पकरिया थाना, गौरेला, जिला–गौ.पे.म. (छ.ग.), 02. गोपाल पेन्द्रो पिता राय सिंह पेण्द्रो, उम्र 36 वर्ष, साकिन गुदुम देवरी, थाना मरवाही, जिला गौ.पे.म. (छ.ग.) को फरार घोषित कर उनके विरूद्ध स्थायी वारंट जारी किया जावे।

प्रकरण के पृष्ठ भाग पर लाल स्याही से अभियुक्त के फरारी एवं प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की टीप अंकित कर प्रकरण व्यवस्थित कर विधिवत् नियत समयावधि के भीतर अभिलेखागार बिलासपुर भेजा जावे।

ku. Seema jagdalla

Digitally signed by ku. Seema jagdalla
Date: 2026.08.13 17:23:15 +0530

(कु. सीमा जगदल्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पेण्ड्रारोड (छ.ग.)